टिप्पणी

28

अंशों की जब्ती

पिछले पाठ में आप एक संयुक्त पूँजी कंपनी के अंशों एवं उनके निर्गमन के संबंध में जान चुके हैं। आप यह भी जान चुके हैं कि निर्गमित अंशों का मूल्य किश्तों में चुकाया जाता है जैसे कि आवेदन पर, आबंटन पर, तथा कंपनी के निर्देशक मण्डल द्वारा समय-समय पर मांगी गई याचनाओं पर। कभी–कभी कुछ अंश धारक याचना राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाते हैं अर्थात उनको अंशों के आबंटन के पश्चात वह एक या दो याचनाओं का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसा होने पर चूककर्ता अंशधारी के खिलाफ या तो कंपनी न्यायालय की शरण ले सकती है तथा देय राशि की वसूली के लिए मुकदमा कर सकती है या फिर उनके अंशों को रद्द कर सकती है। यदि सदस्यता रद्द हो जाती है तो चूककर्ता सदस्य द्वारा भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाती है। इसे अंशों की जब्ती कहते हैं।

इस पाठ में अंशों के जब्त करने की विभिन्न स्थितियों एवं उनके लेखाकरण का अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप :

- अंशों के जब्त करने के अर्थ को समझा सकेंगे;
- अंशों के जब्त किये जाने की विभिन्न परिस्थितियों को समझा सकेंगे;
- सम मूल्य पर निर्गमित, बट्टे पर निर्गमित एवं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के जब्त किये जाने पर लेखाकरण व्यवहार को समझा सकेंगे; तथा
- संबंधित खातों को तैयार कर सकेंगे।

टिप्पणी

28.1 अर्थ एवं प्रक्रिया

यदि एक अंशधारक कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों पर देय आबंटन अथवा किसी भी याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो निर्देशक मण्डल उस व्यक्ति की कंपनी में सदस्यता को समाप्त कर सकता है।

अतः जब किसी अंशधारक की सदस्यता याचना राशि के भुगतान न करने के कारण समाप्त हो जाती है तो इसे अंशों की जब्ती (forfeiture of shares) कहते हैं। अंशों की जब्ती का परिणाम निम्न होता है:

अंश धारक की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
कंपनी की निर्गमित अंश पूँजी कम हो जाती है।

आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे और स्पष्ट करें। एस. के. लि. ने ₹ 10 प्रति अंश के 100000 अंशों का निर्गमन किया जिनका भुगतान इस प्रकार किया जाना था : ₹ 2 आवेदन पर, ₹ 2 आबंटन पर, ₹ 3 प्रथम याचना पर एवं ₹ 3 द्वितीय व अंतिम याचना पर। हरीश जो 100 अंशों का धारक है कंपनी द्वारा मांगी गई द्वितीय एवं अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाया। इस स्थिति में यदि कंपनी का निर्देशक मण्डल उसके अंशों को जब्त करने का निर्णय लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी तथा उसने जो ₹ 700 का भुगतान किया है (100 अंशों पर ₹ 2 आवेदन राशि, ₹ 2 आबंटन राशि तथा ₹ 3 प्रथम याचना राशि) को जब्त कर लिया जाएगा। अब हरीश कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा तथा कंपनी की निर्गमित पूँजी में से ₹ 100 कम हो जाएगा।

अंशों के जब्ती की प्रक्रिया (Procedure of Forfeiture of Shares)

अंशों के जब्त करने का अधिकार निर्देशक मण्डल को कंपनी के अन्तर्नियमों में दिया होता है। निर्देशक मण्डल चूककर्ता सदस्य को 14 दिन की सूचना देकर एक निश्चिन तिथि से पहले देय राशि को ब्याज सहित या ब्याज के बिना, जैसा भी निर्णय लिया गया हो, अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए कहता है। नोटिस में यह कहा जाता है कि यदि इसमें घोषित राशि का निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया गया तो निर्देशक मण्डल एक प्रस्ताव पारित कर इन अंशों को जब्त कर सकते हैं। जब्त करने के निर्णय से आबंटी को अवगत कराया जाए तथा उसे जब्त किये गये अंशों के आबंटन पत्र एवं अंश प्रमाणपत्रों को कंपनी को लौटाने को कहा जाएगा।

पाठगत प्रश्न 28.1

उचित शब्द/शब्दों को भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(i) यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो निर्देशक मण्डल अंशों का ..... कर सकते हैं।

टिप्पणी

(ii) अंशों की जब्ती का अर्थ है

(क) .....

(ख) .....

(iii) अंशों की जब्ती का अधिकार कंपनी के ..... में दिया होता है।

(iv) निर्देशक मण्डल को कम से कम ..... दिन का नोटिस चूककर्ता सदस्य को देना होता है।

28.2 लेखाकरण (Accounting Treatment)

आप यह जान चुके हैं कि अंशों को सममूल्य बट्टे पर, तथा प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है इन स्थितियों में अंशों की जब्ती का लेखांकन इस प्रकार से किया जाएगा :

1. सममूल्य पर जारी अंशों की जब्ती

जब सममूल्य पर जारी अंशों को जब्त किया जाता है तो लेखांकन इस प्रकार से होता है:

(i) जब्त के समय तक प्रति अंश मांगी गई राशि (चाहे प्राप्त हुई है अथवा नहीं) से अंश पूँजी खाते के नाम में लिखा जाएगा।

(ii) जब्त के समय तक प्राप्त राशि से अंश जब्त खाता के जमा में लिखा जाएगा।

(iii) अदत्त याचना खाता के जमा में जब्त किये अंशों पर देय राशि को लिखा जाएगा।

(iv) यह इस प्रकार की याचनाओं के नाम के प्रभाव को समाप्त कर देगी यह उस समय होती है जब राशि देय हो जाती है

रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार से होगी

अंश पूँजी खाता	नाम	(मांगी गई राशि)
अंश जब्त खाता से		(भुगतान कर दी गई राशि)
अदत्त याचना खाता से		(राशि जो मांग ली गई लेकिन भुगतान नहीं हुआ)

नोट :

(i) मांगी गई राशि = अंशों की संख्या × प्रति अंश मांगी गई राशि

(ii) भुगतान की गई राशि = अंशों की संख्या × प्रति अंश प्रदत्त राशि

(iii) मांगी गई राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है = अंशों की संख्या × प्रति अंश मांगी गई राशि जिसका भुगतान नहीं हुआ है।

टिप्पणी

उदाहरण 1

₹ 10 प्रति अंश के 100 अंशों का धारक एक्स (X) ने ₹ 2 प्रतिअंश आवेदन राशि, ₹ 3 प्रतिअंश आबंटन राशि का भुगतान कर दिया है जो कि ₹ 2 प्रति अंश से प्रथम याचना तथा ₹ 3 प्रति अंश से द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया है। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया है। अंशों के जब्त करने पर लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

हल :

रोजनामचा प्रविष्टि

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता (100 × ₹ 10) नाम		1000	
	अंश जब्ती खाता (100 ₹ 5) से			500
	अंश प्रथम याचना खाता (100 ₹ 2) से			200
	अंश द्वितीय याचना तथा अन्तिम याचना खाता से			300
	(100 अंशों की जब्ती)			

उदाहरण 2

अल्फा लि. ने 10000 अंश ₹ 100 प्रति अंशों का निर्गमन किया जो इस प्रकार देय था :

₹ 25 आवेदन पर

₹ 25 आबंटन पर

₹ 20 प्रथम याचना पर

₹ 30 द्वितीय एवं अंतिम याचना पर

9000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा उनका आबंटन कर दिया गया। सभी राशि प्राप्त कर ली गई केवल गणेश को आबंटित 300 अंशों पर आबंटन प्रथम याचना तथा द्वितीय एवं अन्तिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। निर्देशक मण्डल ने इन अंशों को जब्त करने का निर्णय लिया। अंशों के जब्त करने से सम्बन्धित लेनदेनों की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

हल :

रोजनामचा प्रविष्टि

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता (300 ₹ 100) नाम		30,000	

टिप्पणी

	अंश जब्ती खाता (300 ₹ 25) से			7,500
	अंश आबंटन खाता (300 ₹ 25) से			7,500
	अंश प्रथम याचना खाता (300 ₹ 20) से			6,000
	अंश द्वितीय याचना खाता (300 ₹ 30.) से			9,000
	(₹ 100 प्रति अंश के 300 अंशों का आबंटन, एवं याचना राशि के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया)			

अनुपातिक आधार पर आबंटित अंशों को जब्त करना (Forfeiture of Shares Allotted on Pro-rata Basis)

अंशों के अधि-अभिदान की स्थिति में आवेदकों को आबंटन की एक योजना यह भी होती है कि उन्हें कंपनी अंशों की वह संख्या जिनके आवेदन को कंपनी आबंटन के योग्य मानती है तथा अंशों की वह संख्या जिनके अभिदान के लिए कंपनी ने प्रस्ताव किया है इन दोनों के अनुपात में आवेदकों को अंशों का आबंटन किया जाता है। इसे अंशों का अनुपातिक आबंटन (Prorata allotment) कहते हैं। अनुपातिक आबंटन में अतिरिक्त आवेदन राशि को अंश आवेदन खाते से आबंटन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। यदि कोई अंशधारक अपने अंशों पर आबंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो देय लेकिन भुगतान नहीं की गई राशि का निर्धारण इस प्रकार से होगा :

(i) आबंटन हेतु प्राप्त अंशों के लिए आवेदन की संख्या

$$= \frac{\text{अंशों की कुल संख्या जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं} \times \text{भुगतान के लिए दोषी को आबंटित अशों की संख्याा}}{\text{कुल आबंटित अंशों की कुल संख्या}}$$

(ii) अंशों की कुल संख्या जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए है (चरण के अनुसार) – आबंटित अंशों की संख्या = अतिरिक्त अंश जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(iii) अतिरिक्त प्राप्त आवेदन राशि = अतिरिक्त अंश जिनके लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए × प्रति अंश आवेदन राशि

(iv) आबंटन पर अप्राप्य राशि = आबंटन पर देय राशि अतिरिक्त आवेदन राशि जिसे आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी

उदाहरण 3

एक कंपनी ने जनसाधारण को 10,000 अंश अभिदान हेतु प्रस्तावित किए। इसके पास 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी ने अनुपातिक आधार पर अंशों के आबंटन का निर्णय लिया। गुणाक्षी, जिसके पास 200 अंश थे, ने आबंटन राशि एवं प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया उसके अंशों को जब्त कर लिया गया।

देय राशि इस प्रकार थी :

₹ 2 आवेदन पर

₹ 3 आबंटन पर

₹ 5 याचना पर

कंपनी की लेखापुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए और संबंधित खाते बनाइये।

हल :

कार्यकारी टिप्पणी : गुणाक्षी द्वारा आवेदन किये गये अंशों की संख्या =

$$\frac{\text{कुल अंश जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए} \times \text{गुणाक्षी को आबंटित अंश}}{\text{कुल अंश जिनका आबंटन किया गया}}$$

$$= \frac{15,000}{10,000} \times 200 = 300$$

अतिरिक्त प्राप्त आवेदन = 300 – 200 = 100

अतिरिक्त आवेदन

राशि प्राप्त = 100 × 2 = ₹ 200

आबंटन पर देय राशि = 200 × 3 = ₹ 600

अतिरिक्त समायोजित आवेदन राशि = ₹ 200

आबंटन पर नहीं भुगतान की गई राशि = 600 – 200 = ₹ 400

रोजनामचा प्रविष्टियां

तिथि	विवरण	खा.पृ. सं.	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
1.	बैंक खाता नाम अंश आवेदन खाता से (15,000 अंशों के लिए ₹ 2 प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त हुई)		30,000	30,000

टिप्पणी

2.	अंश आवेदन खाता नाम
	  अंश पूँजी खाता से
	  अंश आबंटन खाता से
	(10,000 अंशों की आवेदन राशि उनके आबंटन पर पूँजीखाता तथा 5,000 पर आबंटन खाते में हस्तान्तरित कर दी गई।)
			30,000	
				20,000
				10,000

3.	अंश आबंटन खाता नाम अंश पूँजी खाता से (10,000 अंशों पर ₹ 3 प्रति अंश आबंटन राशि देय)		30,000	 30,000
4.	बैंक खाता नाम अंश आबंटन खाता से (9,800 अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		19,600	 19,600
5.	अंश प्रथम एवं याचना खाता नाम अंश पूँजी खाता से (10,000 अंशों पर ₹ 5 प्रति अंश से याचना राशि देय)		50,000	 50,000
6.	बैंक खाता नाम अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता से (9,800 अंशों पर ₹ 5 प्रति अंश याचना राशि प्राप्त)		49,000	 49,000

7.	अंश पूँजी खाता नाम
	  अंश जब्ती खाता से
	  अंश आबंटन खाता से
	  अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता से
	(200 अंशों को आबंटन एवं याचना राशि के भुगतान न करने पर जब्त किया)
			2,000	
				600
				400
				1,000

खाता बही

बैंक खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	अंश आवेदन खाता		30,000		शेष आ/ले		98,600
	अंश आबंटन खाता		19,600				
	अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता		49,000				
			98,600				98,600
	शेष आ/ला		98,600				

अंश आवेदन खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	अंश पूँजी खाता		20,000		बैंक खाता		30,000
	अंश आबंटन खाता		10,000				
			30,000				30,000

अंश पूँजी खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	अंश जब्त खाता		600		अंश आवेदन खाता		20,000
	अंश आबंटन खाता		400		अंश आबंटन खाता		30,000
	अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता		1,000		अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता		50,000
	शेष आ/ले		98,000		शेष आ/ला		98,000
			1,00,000				1,00,000

अंश आबंटन खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	अंश पूँजी खाता		30,000		बैंक खाता		19,600
					अंश आवेदन खाता		10,000
					अंश पूँजी खाता		400
			30,000				30,000

टिप्पणी

अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	अंश पूँजी खाता		50,000		बैंक खाता		49,000
					अंश पूँजी खाता		1,000
			50,000				50,000

अंश जब्ती खाता

नाम जमा

तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (₹)
	शेष आ/ले		600		अंश पूँजी खाता		600
			600				600
					शेष आ/ला		600

..... कं. का स्थिति विवरण
..... को

विवरण	नोट	₹
I. समता एवं देयताएँ		
(1) अंशधारक निधि		
(क) अंशधारक निधि	1	98,600

नोट 1

अंशधारक निधि

अधिकृत पूँजी

..... अंश ₹ 10 प्रति

निर्गमित पूँजी

10,000 अंश ₹ 10 प्रति अंश	1,00,000
घटा 200 जब्त किए गये	2,000
	98,000
अंश जब्ती खाता	600
	98,600

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 28.2

i. ₹ 100 प्रति अंश के 200 अंशों को ₹ 20 प्रति अंश की प्रथम याचना एवं ₹ 30 प्रति अंश की अन्तिम याचना के भुगतान न करने पर जब्त कर लिये गए। जब्त करने की रोजनामचा प्रविष्टि व प्रत्येक खाते के योग, राशि लिखें :

		₹	₹
अंश पूँजी खाता	नाम (क)		
अंश जब्ती खाता से	(ख)		
अंश प्रथम याचना खाता से	(ग)		
अंश अन्तिम याचना खाता से	(घ)		

(₹ 100 प्रति अंश के 200 अंशों का प्रथम याचना एवं अंतिम याचना के भुगतान न होने पर जब्त किया)

ii. एक संयुक्त पूँजी कंपनी ने ₹ 100 प्रति अंश के 50,000 अंश अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जिन पर राशि इस प्रकार मांगी गई :

₹ 30 आवेदन पर, ₹ 40 आबंटन पर तथा शेष आवश्यकता पड़ने पर। 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आवेदकों को आबंटन अनुपातिक आधार पर किया। राकेश जिसे 200 अंश आबंटित किए गये थे उसने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया। राकेश के अंशों की निम्नलिखित राशियों का निर्धारण कीजिए।

(क) अतिरिक्त आवेदन राशि प्राप्त ₹ .....

(ख) आबंटन पर राशि देय ₹ .....

(ग) आबंटन पर शुद्ध अदत्त राशि ₹ .....

28.3 प्रीमियम पर निर्गमित एवं बट्टे पर निर्गमित अंशों की जब्ती

प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती :

अंशों के प्रीमियम पर निर्गमित करने पर उनको यदि जब्त किया जाये तो दो स्थितियां हो सकती है :

- अंशों की जब्ती से पूर्व प्रीमियम राशि प्राप्त हो चुकी है।
- अंशों पर प्रीमियम राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा यह अभी भी प्रतिभूति प्रीमियम खाते के जमा में लिखी हुई है।

1. **अंशों की जब्ती से पूर्व प्रीमियम राशि प्राप्त हो चुकी है :** यदि जब्त किये गये अंशों पर जब्ती से पूर्व ही कंपनी प्रीमियम की राशि को प्राप्त कर चुकी

टिप्पणी

है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्रभावित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अंशों के जब्त करने की वही प्रविष्टि होगी जो कि अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन पर की जाती है।

रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अंश पूँजी खाता नाम
  अंश जब्ती खाता से
  अदत्त याचना खाता/अप्राप्त याचना खाता से
(प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती)

उदाहरण 4

एम. बी. सॉफ्टवेयर लि. ने ₹ 5,00,000 की पूँजी निर्गमित की जिसे ₹ 10 प्रति अंश के समता अंशों में विभक्त किया गया। अंशों को ₹ 4 प्रीमियम पर निर्गमित किया गया जिनका भुगतान इस प्रकार होना था : ₹ 3 प्रति अंश आवेदन पर ₹ 7 प्रति अंश (प्रीमियम को सम्मिलित कर) आबंटन पर तथा शेष याचना पर।

सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तथा उनका आबंटन कर दिया गया। 500 अंशों को छोड़कर पूरी राशि समय पर प्राप्त हुई। इन अंशों पर याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी ने इन अंशों को जब्त करने का निर्णय लिया। इन 500 अंशों को जब्त करने पर रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

हल:

रोजनामचा प्रविष्टि

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता नाम		5,000	
	अंश जब्ती खाता से			3,000
	अंश प्रथम याचना एवं अन्तिम याचना खाता से			2,000
	(₹ 10 प्रति अंश के 500 अंश का याचना राशि के भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिया गया)			

2. अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा यह प्रतिभूति प्रीमियम खाते के जमा में देय लेकिन अदत्त दिखाई हुई है : जब एक अंश को प्रीमियम राशि के देय होने लेकिन प्राप्त न होने (चाहे पूरी राशि अथवा राशि का कुछ भाग) के कारण जब्त

टिप्पणी

किया जाता है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते को रद्द कर दिया जाता है। राशि को देय दर्शाने पर प्रतिभूति प्रीमियम खाता के जमा में लिखा गया है। ऐसे में रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार से होगी :

अंश पूँजी खाता	नाम
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	नाम
अंश जब्त खाता से	
अदत्त खाता से	
(मूलतः प्रीमियम पर जारी अंशों के देय राशि के भुगतान न करने पर जब्ती)	

उदाहरण 5

दि लेटेस्ट टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने 50,000 अंश ₹ 20 प्रति अंश ₹ 5 प्रति अंश प्रीमियम पर जनसाधारण को अभिदान हेतु प्रस्तावित किए। अंशों पर भुगतान इस प्रकार से करना था :

आवेदन पर	₹ 5 प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 12 प्रति अंश (₹ 5 प्रति अंश प्रीमियम सहित)
प्रथम याचना पर	₹ 4 प्रति अंश
द्वितीय एवं अंतिम याचना पर	₹ 4 प्रति अंश

सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को पूरे–पूरे अंश आबंटित कर दिए गये। आशिमा जो 200 अंशों पर आबंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं कर सकी। रेशमा को 300 अंशों का आबंटन किया गया। उसने याचना राशि का भुगतान नहीं किया। उनके अंशों को जब्त कर लिया गया। केवल जब्ती संबंधी रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए :

हल :

रोजनामचा प्रविष्टि

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(1)	अंश पूँजी खाता (200 x 20) नाम		4,000	
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (200 x 5) नाम		1,000	
	अंश जब्ती खाता से (200 x 5)			1,000
	अंश आबंटन खाता से (200 x 12)			2,400
	अंश प्रथम याचना खाता से (200 x 4)			800
	अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से (200 x 4)			800
	(आशिमा के 200 अंशों को आबंटन को याचना राशि के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया)			

टिप्पणी

(2)	अंश पूँजी खाता (200 x 30) नाम		6,000	
	अंश जब्ती खाता से			3,600
	अंश प्रथम याचना से			1,200
	अंश द्वितीय एवं अन्तिम याचना से			1,200
	(रेशमा के 300 अंशों को जब्त किया)			

उपयुक्त की मिलाकर प्रविष्टि (Combined entry) इस प्रकार से होगी

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता नाम		10,000	
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता नाम		1,000	
	अंश जब्ती खाता से			4,600
	अंश आबंटन खाता से			2,400
	अंश प्रथम याचना खाता से			2,000
	अंश द्वितीय एवं अन्तिम याचना खाता से			2,000
	(आशीमा के 200 अंशों की जब्ती जिस पर उसने आबंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं किया तथा रेशमा के 300 अंशों की जब्ती जिस पर उसने याचना राशि का भुगतान नहीं किया।)			

बट्टे पर जारी अंशों का जब्त करना (Forfeiture of Shares Issued at Discount)

अंशों के जारी करने पर दी गई छूट की राशि कंपनी के लिए हानि होती है। जब बट्टे पर निर्गमित अंश को देय राशि का भुगतान न करने पर जब्त किया जाता है तो उन पर दी गई छूट/बट्टे को पुनः अंशों के निर्गमन पर अंश निर्गमन बट्टा खाता के नाम में लिखा जाता है लेकिन जब इन अंशों को जब्त किया जाता है तो इस खाते के जमा में लिख दिया जाता है।

इसके लिए निम्न रोजनामचा प्रविष्टि की जायेगी;

अंश पूँजी खाता नाम
  अंश जब्ती खाता से
  अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता से
(मूलतः बट्टे पर निर्गमित किए गये अंशों की जब्ती, देय राशि का भुगतान न करने पर)

टिप्पणी

उदाहरण 6

दि ऐवरग्रोइंग लिमिटेड ने ₹ 50 प्रत्येक के 20,000 अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जो निम्न प्रकार देय है;

आवेदन पर ₹ 10 प्रति अंश

आबंटन पर ₹ 20 प्रति अंश

याचना पर ₹ 15 प्रति अंश

200 अंशों की याचना राशि को छोड़कर सभी अंशों का अभिदान हो गया तथा उनका भुगतान प्राप्त हो गया जिन्हें कंपनी ने जब्त कर लिया।

अंशों के जब्ती के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

हल :

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता (200 x 50) नाम		10,000	
	अंश जब्ती खाता (200 x 30) से			6,000
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता (200 x 5) से			1,000
	अंशों की प्रथम एवं अंतिम याचना खाता (200 x 15) से			3,000
	(₹ 50 प्रति अंश के 200 अंशों के जिन्हें 10% बट्टे पर जारी किया गया था के याचना राशि के भुगतान न किए जाने पर जब्त किया गया)			

उदाहरण 7

मै. हर्बल टी प्लांटेशन्स लि. को 1 करोड़ रुपये की पूँजी से पंजीकृत कराया गया जो ₹ 100 प्रति के अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने 50,000 अंश जन साधारण को ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर प्रस्तावित किए। इन अंशों पर राशि इस प्रकार से देय थी :

₹ 25 आवेदन पर

₹ 50 (₹ 20 प्रीमियम सहित) आबंटन पर

₹ 20 प्रथम याचना पर, एवं

₹ 25 अंतिम याचना पर

टिप्पणी

75,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदकों को अनुपात के आधार पर अंशों का आबंटन किया गया। कांति भाई जिसे 500 अंश दिए गये थे ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया। उसने प्रथम याचना राशि का भुगतान भी नहीं किया। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। शीतल जिसके पास 200 अंश थे ने प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। अंतिम याचना मांगी नहीं गई।

कंपनी की लेखा पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल :

मै. हरबल टी प्लांटेशन्स लि.
रोजनामचा प्रविष्टियां

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
1.	बैंक खाता नाम		18,75,000	
	अंश आवेदन खाता से			18,75,000
	(आवेदन राशि प्राप्त हुई)			
2.	अंश आवेदन खाता नाम		18,75,000	
	समता अंश पूँजी खाता से			12,50,000
	अंश आबंटन खाता से			6,25,000
	(50,000 अंशों की आवेदन राशि उनके आबंटन पर पूँजी खाता में हस्तान्तिरित की गई तथा शेष का अंश आबंटन में समायोजन कर दिया गया)			
3.	अंश आबंटन खाता नाम		25,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता से			15,00,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता से			10,00,000
	(प्रीमियम सहित आबंटन राशि देय)			
4.	बैंक खाता नाम		18,56,250	
	अंश आबंटन खाता से			18,56,250
	(आबंटन राशि प्राप्त हुई)			
5.	अंश प्रथम याचना खाता नाम		10,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता से			10,00,000
	(प्रथम याचना राशि देय)			

टिप्पणी

6.	बैंक खाता नाम अदत्त याचना खाता नाम अंश प्रथम याचना खाता से (49,300 अंशों पर प्रथम याचना राशि प्राप्त हुई तथा 200 अंशों की राशि को अदत्त याचना खाते के नाम लिखा गया)		9,86,000 4,000	 9,90,000
7.	अंश पूँजी खाता नाम प्रतिभूति प्रीमियम खाता नाम अंश जब्ती खाता से अंश आबंटन खाता से अंश प्रथम याचना खाता से (500 अंशों को आबंटन राशि एवं याचना राशि के भुगतान करने पर जब्त किया।)		37,500 10,000	 18,750 18,750 10,000

कार्यकारी नोट

अंश जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए 75,000

अंश जिनका आबंटन किया गया 50,000

अनुपात 3 : 2

कांती भाई के पास अंश = 500

अंश जिनके लिए आवेदन किया $500 \times \frac{3}{2} = 750$

अतिरिक्त आवेदन राशि प्राप्त हुई = 250×25 = ₹ 6,250

अंश आबंटन राशि देय = 500 × 50 = ₹ 25,000

अतिरिक्त आवेदन राशि के समायोजन के पश्चात्

शुद्ध देय राशि = ₹ 25,000 – ₹ 8,250 = ₹ 18,750

कुल आबंटन राशि देय ₹ 25,00,000

घटा : अतिरिक्त आवेदन राशि जो समायोजित की गई ₹ 6,25,000

घटा : कांति भाई की आबंटन राशि देय ₹ 18,750

शुद्ध राशि जो प्राप्त हुई = ₹ 18,56,250

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 28.3

नीचे दी गई स्थितियों में दिये खातों के नाम लिखा जायेगा अथवा जमा तथा कितनी राशि लिखी जाएगी।

i. 100 अंश ₹ 10 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त सममूल्य पर निर्गमित किए गए जिन पर ₹ 3 प्रति अंश की अन्तिम याचना प्राप्त नहीं हुई।

अंश जब्ती खाता

ii. 250 अंश ₹ 10 प्रति अंश ₹ 4 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गये जिन्हें ₹ 2 प्रति अंश की याचना राशि के भुगतान न करने पर जब्त किया गया जिन पर ₹ 2 प्रीमियम की राशि जो आबंटन के साथ मांगी थी प्राप्त हुई।

अंश जब्ती खाता

iii. 100 अंश ₹ 10 प्रति अंश जिन्हें पूर्ण प्रदत्त ₹ 2 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया गया तथा जिन पर केवल ₹ 2 प्रति अंश से आवेदन राशि प्राप्त हुई है को जब्त किया गया।

प्रतिभूति प्रीमियम खाता

iv. 200 अंश ₹ 20 प्रति अंश जो ₹ 2 प्रति अंश बट्टे पर निर्गमन किये गये जिन पर ₹15 प्रति अंश से राशि मांगी गई को ₹ 5 प्रति अंश की अन्तिम याचना के प्राप्त न होने पर जब्त किया गया।

अंश निर्गमन पर बट्टा खाता

आपने क्या सीखा

- अंशों की जब्ती का अर्थ है कंपनी द्वारा याचना की गई राशि के भुगतान न करने पर अंश धारक की सदस्यता को समाप्त करना। अंशों की जब्ती का परिणाम होता है : भुगतान न करने वाले अंशधारी की सदस्यता की समाप्ति, एवं कंपनी की अंश पूँजी में कटौती।
- कम्पनी के अर्न्तनियमों में अंशों के जब्त करने का अधिकार दिया गया होता है। निदेशक मण्डल को कंपनी के अंशों के जब्त करने से पहले भुगतान के दोषी अंश धारक को 14 दिन का नोटिस देना होता है।
- अंशों को तीन परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है :

  (i) अंशों को सममूल्य पर जारी किया गया

टिप्पणी

(ii) अंशों को प्रीमियम पर जारी किया गया

(क) प्रीमियम की पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है

(ख) प्रीमियम की राशि देय है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है

(iii) अंशों का बट्टे पर जारी करना

- सभी स्थितियों में जब्त किए गये अंशों पर मांग की गई राशि से अंश पूँजी खाते के नाम में लिखा जाएगा।
- अंश जब्ती खाता को जब्त किए गये अंशों पर प्राप्त राशि (प्रीमियम की राशि को छोड़कर) से जमा किया जाता है।
- जब्त किये गये अंशों पर यदि प्रीमियम राशि प्राप्त हो गई है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्रभावित नहीं होगा। लेकिन इसके नाम में लिखा जाएगा यदि यह देय हो गया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है।
- बट्टे पर जारी अंश यदि जब्त किये जाते हैं तो अंश निर्गमन पर बट्टा खाता को सदा जब्त किए गये अंशों पर दी गई छूट से 'जमा' दिखाया जाएगा।

पाठान्त प्रश्न

1. अंशों के जब्ती का अर्थ बताइए। अंशों को कब जब्त किया जाता है?
2. अंशों की जब्ती पर प्रतिभूति प्रीमियम खाता का क्या लेखांकन किया जाता है जब कि

   (क) प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है

   (ख) जब्त किए गये अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है।
3. एक्स लि. ने ₹ 100 प्रति अंश के 300 अंशों को जब्त किया जिन पर ₹ 30 प्रति अंश की अन्तिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई है। अन्य याचनाएं समय पर प्राप्त हो गई हैं। अंशों की जब्ती का लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।
4. ऑल टाइम एन्टरटेनमैंट लि. ने 50,000 अंश ₹ 10 प्रति अंश ₹ 4 प्रीमियम पर जारी किए, जिन पर भुगतान इस प्रकार किया जाता था ₹ 3 प्रति अंश आवेदन पर, ₹ 7 (प्रीमियम सहित) आबंटन पर तथा शेष याचना पर। अकबर, जिसे 300 अंश आबंटित किए गये थे, ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं करने पर, उन अंशों को जब्त कर लिया गया। 300 अंशों की जब्ती पर रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।
5. एक्स लिमिटेड ने ₹ 50 प्रति अंश से 10,000 अंश बट्टे ₹ 5 प्रति अंश पर निर्गमित किए। राशि का भुगतान इस प्रकार किया जाना था, आवेदन पर ₹ 10 प्रति अंश, आबंटन पर ₹ 20 प्रति अंश, शेष राशि प्रथम एवं अंतिम याचना सारी राशि प्राप्त हो गई। केवल 400 अंशों पर आबंटन राशि तथा याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। इन अंशों को जब्त कर लिया गया। कंपनी की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कीजिए तथा आवश्यक खाते भी बनाइए।

6. दि मल्टीमीडिया लि. ने ₹ 100 प्रति अंश के 50,000 अंशों के ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये। राशि का भुगतान इस प्रकार किया जाना था :

आवेदन पर	₹ 30 प्रति अंश
आबंटन पर	₹ 60 प्रति अंश (प्रीमियम सहित)
प्रथम एवं अन्तिम याचना पर	₹ 30 प्रति अंश

1 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 20,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र पूरी तरह नकार दिये गये तथा उनकी राशि लौटा दी गई। शेष आवेदकों को अनुपात के आधार पर आबंटन कर दिया गया। सुखबिन्दर जिसको 400 अंशों का आबंटन किया गया था ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया। याचना राशि के भुगतान न करने पर उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। राजेन्द्र, जिसने 400 अंशों के लिए आवेदन किया था याचना राशि का भुगतान नहीं कर सका। कंपनी की लेखा पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा आवश्यक खाते भी बनाइए।

7. अग्रवाल कन्सट्रक्शन लि. ने ₹ 50 प्रति अंश के 40,000 अंश ₹ 10 प्रीमियम पर अभिदान हेतु जनसाधारण को प्रस्तावित किये। इन अंशों पर राशि का भुगतान इस प्रकार किया जाना था : ₹ 30 प्रति अंश आवेदन के साथ

₹ 30 प्रति अंश आबंटन पर (जिसमें ₹ 10 प्रति अंश प्रीमियम का सम्मिलित है)

शेष प्रथम एवं अन्तिम याचना पर 75,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए 15,000 अंशों के आवेदकों को क्षमा याचना पत्र भेजे गये तथा उनकी राशि लौटा दी गई। शेष को अंश अनुपात के आधार पर आबंटित किए गये। सुधीर जिसके पास 400 अंश थे, ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया उसके अंशों को जब्त किर लिया गया। याचना राशि मांगी गई। रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

28.1 (i) जब्ती (ii) (क) कंपनी की सदस्यता से समाप्ति; (ख) निर्गमित पूँजी में कटौती (iii) अन्तर्नियम (iv) 14

28.2 I. (i) ₹ 20,000 (i) ₹ 10,000 (i) ₹ 4,000 (i) ₹ 6,000

II. (i) 40 × 30 = ₹ 1,200 (i) 200 × 40 = ₹ 8,000
(i) 8000 – 1200 = ₹ 6,800

28.3 (i) ₹ 700 से जमा (ii) ₹ 2,000 से जमा
(iii) ₹ 200 से नाम (iv) ₹ 400 से जमा